

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

अमृत सरोवर संवाद से ग्रामीणों को रोजगार गारंटी की नई जानकारी, 125 दिन काम का भरोसा

Awais Kaiwart

Published on 31 Jan 2026



शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत मरवाही क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित 54 अमृत सरोवरों में “अमृत सरोवर संवाद” कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 को ग्राम पंचायत सेमरदरी स्थित अमृत सरोवर में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार गारंटी से जुड़े नवीन प्रावधानों एवं आजीविका आधारित योजनाओं की विस्तृत जानकारी देना रहा। संवाद के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को **VB-G RAM G Act 2025** के बारे में अवगत कराया और बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण मजदूरों को अब **125 दिनों तक रोजगार** उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन पर रोक लगेगी।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत मरवाही के **मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय सागर** एवं **कार्यक्रम अधिकारी समीर धुव** ने उपस्थित कर्मचारियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को अधिक से अधिक कार्यों से जोड़ने, कामकाजी महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया।

अधिकारियों ने अमृत सरोवरों को केवल जल संरचना ही नहीं, बल्कि **आजीविका के केन्द्र** के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके तहत महिला समूहों को मछली पालन, कृषि आधारित गतिविधियों और अन्य स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

सरोवर संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और योजनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ग्रामीणों का कहना था कि इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों से उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी मिलती है और वे अपने अधिकारों के

प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं ।

प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि आगे भी इसी तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित कर योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार गारंटी और आजीविका से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठा सकें और गांव का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Awas Kaiwart, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.